कार्यालय उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर

फोन नम्बर: 0141–2617319 ई–मेल dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

पत्रांक एफ–16()ESZ/ना.अ./उवसं/जू/2026–27/ Rajkaj Ref. no. दिनांकः-As per E-sign

::: बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 29.09.2026 :::

नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य के ईको सेन्सिटिव जोन की मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन जिला कलक्टर महोदय, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2026 को मध्याह्न पश्चात् 03:00 बजे कलक्टर कक्ष में आयोजित की गई, जिसमे निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री राहुल झाझडिया, उप वन संरक्षक, जयपुर
2. डॉ. आशीष व्यास, उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर।
3. श्रीमती पूजा, क्षेत्रीय अधिकारी,राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर उत्तर ।
4. श्री राजेन्द्र कुमार–II, उपखण्ड अधिकारी, आमेर ।
5. डॉ. खुशबु शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–I ।
6. श्री खेमा राम यादव, उपायुक्त जोन नं. 13 जेडीए, जयपुर।
7. श्री मनीष कुमार, प्रबंधक (तकनीकी) राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ।
8. श्री रामकेश कुमार शर्मा, तहसीलदार, जोन नं. 13, जेडीए, जयपुर।
9. श्री सौरभ गुर्जर, तहसीलदार, तहसील आमेर।

बैठक एजेण्डा बिन्दु संख्या– 01

ग्राम कुकस के खसरा खसरा सं0 173/16, 2528/50, 173/17, 173/2526, 174/2460, 2527/50, 50/2195, 50/2525, 173/14, 2530/50, 173/15, 2531/50 किस्म बारानी का इको सेन्सिटिव जोन की अधिसूचना के पैरा सं0 4(क) विनियमित कियाकलाप के अनुसार अनुमोदन कराने हेतु श्री संजीव सोनी पुत्र श्री सुभाष चन्द सोनी, निदेशक सोनी फाईन रिसोर्ट प्रा. लि. द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण पर दिनांक 20.02.2026 को आयोजित कमेटी की बैठक में चर्चा उपरांत समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त भूमि के अभिलेखीय भिन्नता के संबंध में उप वन संरक्षक जयपुर एवं तहसीलदार आमेर को अभिलेखीय भिन्नता की जांच कर प्रस्ताव को कमेटी की आगामी बैठक में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक को बैठक में उपस्थित उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं तहसीलदार आमेर ने अपनी रिपोर्ट पत्रांक राजकाज रेफरेन्स नं. 21080551 दिनांक 16.03.2026 व तहसीलदार आमेर के पत्रांक 1063 दिनांक 12.03.2026 द्वारा किसी प्रकार की अभिलेखीय भिन्नता होने से इंकार कर अवगत कराया है कि ग्राम कुकस के प्रश्नगत खसरा सं0 173/16, 2528/50, 173/17, 173/2526, 174/2460, 2527/50, 50/2195, 50/2525, 173/15, 2531/50, 173/14, 2530/50 किता 12 रकबा 2.65 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार संजीव सोनी पुत्र सुभाष चन्द सोनी के दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक मूल नंबर 173 रकबा 7.28 है0 किस्म बारानी तृतीय है जिसका साबिक खसरा नं0 87 मी. है।

संवत् 2008 से 27 की जमाबंदी में खसरा सं0 52 रकबा 42 बीघा 17 बिस्वा किस्म बंजर दोयम खातेदार मकबुजा पानीदार लगानी दर्ज थी जो कि संवत् 2020 की जमाबंदी के अनुसार खसरा नं0 40। संवत 2020 की जमाबंदी अनुसार खसरा सं0 40 रकबा 42 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी सोयम आसुराम पि0मु0 रामचन्द्र 1/4, गोपी व रामसहाय पिता गंगु 3/4 सा.देह दर्ज है। तत्पश्चात् खसरा सं0 87 रकबा 40 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नं0 88 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आशुराम वगै0 दर्ज रिकार्ड रही।

Signature valid
Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2026.10.23 10:16:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 25086108
M e-Sign

बैठक एजेण्डा बिन्दु संख्या–05:–

मै. ई.आई.एच. एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड कम्पनी के होटल ट्राईडेंट ग्राम नाहरगढ के खसरा न. 102 से 105 और 111 से 115 जल महल के सामने, आमेर रोड, जयपुर के भवन निर्माण (विस्तार) हेतु मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण पर चर्चा। उक्त प्रकरण पर चर्चा के दौरान उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर द्वारा अवगत कराया गया कि नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 के अनुसार राजस्व ग्राम नाहरगढ नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के अन्दर आता है साथ ही नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के समक्ष वाद संख्या 14254/2025 विचाराधीन है। अतः कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रकरण में यथा स्थिति बनाये रखने व स्थगित (Defer) करने का निर्णय लिया गया।

तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त हुई।

(डॉ. आशीष व्यास)
उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर एवं सदस्य सचिव,
मानिटरिंग कमेटी ईको सेन्सिटिव जोन,
नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य

पत्रांक एफ–16()ESZ/ना.अ./उवसं/जू/2026–27/ Rajkaj Ref. no. दिनांक:-As per E-sign

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. प्रधान पंचायत समिति, आमेर ।
5. उप वन संरक्षक, जयपुर।
6. मुख्य प्रबंधक (तकनीकी), राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, अरावली भवन, जयपुर ।
7. अति. जिला कलक्टर प्रथम ।
8. उपखण्ड अधिकारी, आमेर ।
9. उपायुक्त जोन नं. 13, जेडीए ।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर उत्तर ।
11. तहसीलदार, तहसील आमेर ।
12. श्री संजीव सोनी पुत्र श्री सुभाष चन्द सोनी, निदेशक सोनी फाईन रिसोर्ट प्रा. लि.
13. श्री शरद मिश्रा ग्राम सिंगवाना, तहसील आमेर
14. इन्दर कॉलोनाईजर्स प्रा. लि.
15. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी आमेंर
16. मै. ई.आई.एच. एसोसिएटेड होटल्स लिमिटेड कम्पनी के होटल ट्राईडेंट
17. रक्षित पत्रावली।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर एवं सदस्य सचिव,
मॉनिटरिंग कमेटी ईको सेन्सिटिव जोन,
नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य

Signature valid
Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2026.10.23 10:16:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 25086108
M e-Sign